रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2000/श्रावण 18, 1922

No. 180] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2000/SRAVANA 18, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2000

फा. सं. 33/15/2000-बि.क.—राज्य/संघ शासित राज्यों के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण से संबंधित सचिवों/महानिरीक्षकों की 9 मार्च, 2000 को हुई बैठक में एक मंच, जिसमें संबंधित राज्य सचिव समय-समय पर बैठक और युक्तियों पर चर्चा कर सकें ताकि स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण से संबंधित विभाग की कार्य-प्रणाली में सुधार किया जा सके, के गठन की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पारित किया था।

2. इस संकल्प के अनुसरण में, सरकार ने अपर सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में स्टाम्प और पंजीकरण के राज्य सचिवों की स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

3. श्री ओ.पी. माथुर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली स्थायी समिति के संयोजक होंगे।

4. समिति के विचारार्थ विषय स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और जांच करना होंगे।

5. समिति इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली, स्थायी समिति को सचिवालय सहायता प्रदान करेगा। इस संबंध में व्यय, यदि कोई हो, राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।

डा. जी सी. श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th August, 2000

F. No. 33/15/2000-ST.—A meeting of the Secretaries/Inspectors General concerned with Stamp duty and Registration of States/UTs held on 9th March, 2000 had adopted a resolution recommending constitution of a Forum where the concerned State Secretaries could periodically meet and discuss ways so that functioning of Department concerned with Stamp duty and Registration could be improved.

2. In pursuance of this Resolution, the Government has decided to set up a Standing Committee of State Secretaries of Stamp and Registration headed by Additional Secretary (Admn.), Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.

3. Shri O.P. Mathur, NIPF&P, New Delhi will be the Convenor of the Standing Committee.

4. The terms of reference of the Standing Committee will be to discuss and examine the issues relating to stamp duty and registration.

5 The Committee will submit its report within a period of one year from the date of publication of this Resolution.

6. The NIPF&P, New Delhi will provide Secretarial assistance to the Standing Committee Expenditure, if any, in this regard will be borne by the States/UTs

Dr G.C. SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

Published by the Controller of Publications, Delhi-110054